

परिपत्र सं०-वि०अनु०शा०/क०परि०सं०-2223064/2022-23/

2465

/राज्य कर ।

कार्यालय:-आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० ।

(वि०अनु०शा० अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 15 दिसम्बर, 2022

समस्त,

अपर आयुक्त ग्रेड-1,

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०),

संयुक्त आयुक्त (वि०अनु०शा०/कार्य०/कार्पो०),

उपायुक्त (वि०अनु०शा०/खण्ड),


सहायक आयुक्त/रा०क०अधि०(वि०अनु०शा०/स०व०/खण्ड)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

**विषय :- वि०अनु०शा० एवं सचलदल इकाइयों द्वारा सम्पादित की जाने वाली प्रवर्तन की कार्यवाही के सम्बन्ध में ।**

मुख्यालय के परिपत्र सं०-वि०अनु०शा०/क०परि०सं०-2223009/2022-23/308, दिनांक 05-05-2022 के माध्यम से वि०अनु०शा० इकाइयों द्वारा विभागीय एण्ट्री माण्ड्यूल में INS 01 को छोड़कर अन्य समस्त मेन्यू में विभागीय पोर्टल के SIB माण्ड्यूल में प्रविष्टियाँ किये जाने के निर्देश दिए गए थे । माह दिसम्बर, 2022 में आसूचना संग्रहण एवं डेटा विश्लेषण के आधार पर तात्कालिक एवं आकस्मिक रूप से समस्त जोनों में विशिष्ट जाँच निष्पादित हुई है, जिसमें कतिपर्यं प्रकरणों में संवेदनशीलता तथा व्यवहारिकता एवं कार्यात्मक अनिवार्यतावश ऑफलाईन INS 01 जारी किए गए हैं ।

उक्त के क्रम में एतद्द्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिन प्रकरणों में ऑफलाईन INS 01 जारी करते हुए अग्रेतर जाँच प्रक्रिया निष्पादित की गई है, ऐसे समस्त प्रकरणों में विभागीय वि०अनु०शा०(SIB) माण्ड्यूल में आवश्यक प्रविष्टियाँ परिपत्र सं०-2223009 दिनांक 05-05-2022 के अनुसार पूर्ण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 31-12-2022 तक सम्पन्न की जाए ।



(मिनिस्ती एस०)

आयुक्त,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।